न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –06 / 2022

अनवान : –

1. ममता पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर

–– प्रार्थीया

बनाम्

1. रूकमा पत्नी आदुराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर

अप्रार्थीगण

3. दर्शना पत्नी रोहिताश जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
4. सन्तोष पत्नी चरणसिह जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

5. कृष्णा पुत्री सोहनलाल जाति महाजन निवासी कानसर तहसील नोहर।
6. किशनलाल पुत्र सोहनलाल जाति महाजन निवासी कानसर तहसील नोहर।
7. नर्बदा पुत्री सोहनलाल जाति महाजन निवासी कानसर तहसील नोहर।
8. पवन कुमार पुत्र सोहनलाल जाति महाजन निवासी कानसर तहसील नोहर।
9. मदनलाल पुत्र सोहनलाल जाति महाजन निवासी कानसर तहसील नोहर।
10. सुरेश कुमार पुत्र सोहनलाल जाति महाजन निवासी कानसर तहसील नोहर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी **प्रार्थी**

श्री मागीराम अधिवक्ता **अप्रार्थी 1,3,4**

निर्णय दिनांकः- 06/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र धारा 131 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय का पेश किया गया की

रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 228 / 216 के खसरा न0 42 की 2.7060हैक , खसरा न0 95 की 3.5410हैक , खसरा न0 98 की 1.3660हैक कुल 7.6130हैक भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थीया 3541 / 7613 हिस्सा तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 3 का 2706 / 7613 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 का 1366 / 7613 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 570 / 557 के खसरा न0 94 की 1.[illegible] भूमि [illegible] काश्तकार है।

रोही मोजा कानसर के साबिक [illegible] बीघा हाल खसरा न0 95 में पैमुद हुए है रोही मौजा कानसर [illegible] 12 बडा भू– भाग [illegible] जिसमें खसरा न0 95 के खसरा न0 81 के उत्तर में स्थित था तथा खसरा न0 81 की उत्तरी बाउण्डरी खसरा न0 95 ,94 के दक्षिण में एक दम सीधी लाईन में थी तथा खसरा न095 त्रिभुजाकार था खसरा न0 95 की 14 बिश्वा भूमि का था जो नजरी नक्शा सम्वत 2001 से स्पष्ट रोशन है खसरा न0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:25:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

94 खसरा न0 95 की 14 बीधा भूमि पूरी होने के बाद स्थित था भू– प्रबन्धक विभाग ने खसरा न0 95 की भूमि में खसरा न0 95 में फीट कर दिया तथा खसरा 0न 94 की भूमि खसरा न0 81 में खाली रखकर फीट कर दी जिससे प्रार्थीया की 7.10 बीधा भूमि नक्शा में कम हो गई इसलिये प्रार्थीया खसरा न0 94 के नक्शा के पिछे जो खाली जगह है उसमें खसरा न0 94 मुर्तिब करने व खसरा न0 जो वर्तमान में है उसके स्थान पर खसरा न0 95 दर्ज करवाकर नक्शा सम्वत 2001 के नक्शा के अनुसार दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

रोही मौजा कानसर के नजरी नक्शा सम्वत 2001 सन 1943–44 के साबिका खसरा न0 12 व हाल खसरा न0 95 का सुपर विजन करने पर स्पष्ट परिलिक्षित होता है खसरा न0 95 व खसरा न0 90 के बीच में खसरा न0 94 की भूमि थी परन्तु भु–प्रबन्धक विभाग के द्वारा जारी नक्शा सन 1964–65 में खसरा न0 90 के पश्चिम तरफ की जगह खाली छोड दी गई उसके पश्चात खसरा न0 95 की भूमि में ही खसरा न0 94 की भूमि हाल खसरा न0 81 में भू–प्रबन्धक विभाग ने सम्मिलित कर दी जबकि भू0 प्रबन्ध विभाग को नक्शा में परिर्वतन करने की अधिकारिता नही थी केवल पूर्व नक्शा सम्वत 2001 को ही हाल नक्शा सम्वत 1964–65 में दर्शित व दर्ज करना था प्रार्थीया सम्वत 2001 के नक्शा के अनुसार संशोधन करवा पाने का अधिकारी है।

भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा नक्शा गलत दर्ज किये जाने से प्रार्थीया का 7.10 बीधा भूमि कम दर्ज हो गई परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीया की भूमि पूरी है नक्शा तब्दील करने से प्रार्थीया के हक का हनन होता है प्रार्थीया सम्वत 2001 के नक्शा के अनुसार भूमि पर काबिज है परन्तु नक्शा गलत तौर से बनने के कारण प्रतिवादी प्रार्थीया की भूमि पर कब्जा करने पर उतारू है इसलिये नक्शा संशोधन करवाने की अधिकारी है।

प्रार्थीया ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की नक्शा संशोधन करवा लेवे तो आज कल आज कल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 228/216 की भूमि में प्रार्थीया का 3514/7613 हिससा है जिसे सम्वत 2001 के नक्शा के अनुसार वर्तमान नजरी नक्शा में खसरा न0 95 का नक्शा संशोधन करवा पाने के अधिकारी है अर्थात रोही मौजा कानसर के खसरा न0 90 के पश्चिमी तरफ चिपते हुए खसरा न0 94 की खाली जगह में दर्ज किया जाकर खसरा न0 95 की भूमि में खसरा न0 94 कलमजन किया जाकर खसरा न0 81 के उतरी दिशा में नजरी नक्शा सम्वत 2001 के अनुसार सही व दुरूस्त करवा पाने के अधिकारी है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया [illegible] जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादीया के वाद [illegible] दावा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 को रजि[illegible] करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही अमल में [illegible] गई पेरोकार राज ने जबाब पेश किया शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:25:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वादीया के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 228/216 के खसरा न0 42 की 2.7060हैक , खसरा न0 95 की 3.5410हैक , खसरा न0 98 की 1.3660हैक कुल 7.6130हैक भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थीया 3541/7613 हिस्सा तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 3 का 2706/7613 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 का 1366/7613 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 570/557 के खसरा न0 94 की 1.6560हैक भूमि का खातेदार काश्तकार है।

रोही मोजा कानसर के साबिका खसरा न0 12 मीन की 14.00 बीधा हाल खसरा न0 95 में पैमुद हुए है रोही मौजा कानसर का साबिका खसरा न0 12 बडा भू– भाग था जिसमें खसरा न0 95 के खसरा न0 81 के उत्तर में स्थित था तथा खसरा न0 81 की उतरी बाउण्डरी खसरा न0 95 ,94 के दक्षिण में एक दम सीधी लाईन में थी तथा खसरा न095 त्रिभुजाकार था खसरा न0 95 की 14 बिश्वा भूमि का था जो नजरी नक्शा सम्वत 2001 से स्पष्ट रोशन है खसरा न0 94 खसरा न0 95 की 14 बीधा भूमि पूरी होने के बाद स्थित था भू– प्रबन्धक विभाग ने खसरा न0 95 की भूमि में खसरा न0 95 में फीट कर दिया तथा खसरा 0न 94 की भूमि खसरा न0 81 में खाली रखकर फीट कर दी जिससे प्रार्थीया की 7.10 बीधा भूमि नक्शा में कम हो गई इसलिये प्रार्थीया खसरा न0 94 के नक्शा के पिछे जो खाली जगह है उसमें खसरा न0 94 मुर्तिब करने व खसरा न0 जो वर्तमान में है उसके स्थान पर खसरा न0 95 दर्ज करवाकर नक्शा सम्वत 2001 के नक्शा के अनुसार दुरूस्त करवाने का अधिकारी है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में निवेदन किया की प्रार्थीया अपने प्रार्थना पत्र को साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वय साबित करे

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात/नक्शो का अवलोकन किया सम्वत 2001 के नक्शा के अनुसार खसरा न0 95 के खसरा न0 81 में उत्तर में स्थित है तथा खसरा न0 81 की उत्तरी बाउण्डरी खसरा न0 95 ,94 के दक्षिण में एक दम सीधि लाईन में है तथा खसरा न0 95 त्रिभुजाकार है।

वर्तमान नजरी नक्शा के अनुसार खसरा न0 95 के खसरा न0 81 उत्तर में स्थित है किन्तु वह खसरा न0 94 के पास में लम्बी लाईन में बनाया गया है अर्थातं खसरा न0 95 के दक्षिण में खसरा न0 94 स्थित है एवं खसरा न0 94 के दक्षिण में खसरा न0 81 की भूमि दर्शाई गई है जो गलत है।

सम्वत 2001 एवं सम्वत 1964–65 के नक्शा को सुपर विजन करने से स्पष्ट है कि खसरा न0 95 व खसरा न0 90 के बीच खसरा [illegible] किन्तु भू– प्रबन्ध विभाग ने खसरा न0 90 के पश्चिम में भूमि खाली छोड [illegible] दिया जो गलत अर्थात खसरा न0 95 की भूमि में ही खसरा [illegible] कर खसरा न0 94 के दक्षिण व खसरा न0 90 के पश्चिम में खाली छोड कर खसरा न0 81 [illegible] हिस्सा बना दिया जो गलत है जबकि सम्वत 2001 के नक्शा में जो भूमि खसरा न0 94 की उसे खाली दिया कर खसरा न0 81 का भाग बना दिया जबकि वह खसरा न0 94 है तथा वर्तमान में जहा खसरा न0 94 अंकित किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:25:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

गया है वह खसरा न0 95 की भूमि है इसप्रकार वर्तमान नक्शा में खसरा नम्बर गलत तौर से दर्ज है जिसे वादी संशोधन करवा पाने का अधिकारी है अर्थात वादी सम्वत 2001 के नक्शा के अनुसार वर्तमान नक्शा संशोधन करवा पाने का अधिकारी है नक्शा संशोधन करने से किसी भी पक्षकार की भूमि कम या ज्यादा नही होती है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वर्तमान नक्शा रोही मौजा कानसर के खसरा न0 90 के पश्चिमी तरफ चिपते हुए खाली जगह में खसरा न0 94 अंकित किया जाकर खसरा न0 95 की भूमि में खसरा न0 94 कलमजन किया जाकर खसरा न0 81 की उतरी दिशा में नजरी नक्शा सम्वत 2001 के अनुसार सही किया जाता है अर्थात सम्वत 2001 के नक्शा के अनुसार खसरा न0 94 , 95 ,81 अकित किया जाकर वर्तमान नक्शा संशोधित किया जाता है उक्तानुसार वर्तमान नक्शा संशोधित किया जाना सुनिश्चित करे, खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार नोहर के नाम जारी किया जाकर शामिल मिसल किया जावे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 06/03/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:25:35 IST
Reason: SelfAttested